

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . .

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	गरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	उमेश कुमार यादव पिता—परशु राम ग्राम—बालादेवा पो०—इदौर थाना—ईटाढी जिला—बक्सर एम९सी०एस—10364479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रेखा सिंह पति—सूर्य नारायण सिंह ग्राम—महुआ मुकुदपुर पो०—महुआ थाना—महुआ जिला—वैशाली एम९सी०एस—जी० 5846	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पियुष कुमार पिता—दिल्लो यादव ग्राम—भखरी पो०—धनोखर थाना—सनोखर जिला—भागलपुर एम९सी०एस—10364608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शिवराज बैठा पिता— रेखा बैठा ग्राम+पो०—कबीरपुर थाना— मौखा जिला— सीवान एम९सी०एस—जी० 14278 /10360169	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	विमला देवी पति-स्व० कैलाश प्रसाद सिंह ग्राम+पो०-सिरूआ थाना-बहेडी जिला दरभंगा एम९सी०एस-10363405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुभान्ती कुमारी पिता-राम ध्यान यादव ग्राम-गीधा पोस्ट-गीधा थाना-गीधा जिला-भोजपुर एम९सी०एस-10364323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	जमना देवी पति-राम नारायण सिंह ग्राम+पो०-परवा थाना-जय नगर जिला-मधुबनी एम९सी०एस-10364907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कृष्णा देवी पति-विश्वनाथ तिवारी ग्राम-कवल छपरा पोस्ट+थाना-सिन्हा जिला-भोजपुर एम९सी०एस-जी० 12700 / 10358591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुरेश साह पिता-भगत लाल साह ग्राम-सोनापुर पो०-सोनापुर बाजार थाना-नरपतगज जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 6820	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	मास्टर अशु राय पिता-कुदन पासवान ग्राम-मोहीउद्दीनपुर पो०-पेसौर थाना-बिहार शरीफ जिला नालदा एम०सी०एस-जी० 9659/ 10355550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	हर्षित कुमार पिता-तारक नाथ साह ग्राम-धर्मपुर राम राय पो०-ममरेजपुर थाना देसरी जिला वैशाली एम०सी०एस-10364428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	कारु यादव पिता-कृष्णा यादव ग्राम-बनगच्छा पो0-तेलमर थाना तेलमर जिला-नालदा एम0सी0एस-10344428 / एफ 98536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	अजय कुमार पिता-विगन दास ग्राम-मीरा बीगहा पो0-बारा थाना अलीपुर जिला-गया एम0सी0एस-10283460 / एफ 37568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मो0 जसीम पिता-मो0 अख्तर ग्राम-नया टोला डुमरी पो0-डुमरी थाना-सिधौल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-10350421	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	सबिता देवी पति-नरसिंह साह ग्राम-तेलपुर पो0-तेलपुर थाना-लौरिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 91146 / 10337038	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	सहिनुर खातुन पिता-सहजत अली ग्राम-गोविन्दपुर पो0-हतबलरामपुर थाना-आबादपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 11108	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कमर अली खान पिता-मो0 मुस्तकीम खान ग्राम-कहार टोली गुदरी रोड पोखरा मोहल्ला, पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर नगर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10364383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	बीरेन्द्र बारी पिता-स्व० प्रभु बारी ग्राम-कोतवाली चौक मिश्रीगज पो०-भौआडा थाना-टाउन जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 4711	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	सुनील मडल पिता-बिपिन मडल ग्राम-बौरा बाजितपुर पो०-बौरा थाना पुपरी जिला-सीतामढी एम०सी०एस-10361386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुदामा देवी पति-विदेशी बैठा ग्राम-सलेमपुर पो० नन्दलालपुर थाना- लालगंज जिला वैशाली एम०सी०एस-जी० 10994	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	राजदेव राम पिता-स्व० सोमार राम ग्राम-श्रीपालपुर पो०-श्रीपालपुर थाना-पुनपुन जिला पटना एम०सी०एस-जी० 12956 / 10358847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	उषा देवी पति-विष्णु पंडित ग्राम- बडहिया वार्ड 18 पो०-बडहिया थाना-बडहिया जिला- लखीसराय एम०सी०एस-10364226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सर्जन साव पिता-नद किशोर साव ग्राम-मानिकपुर पो-कवादपुर थाना-मानिकपुर जिला-लखीसराय एम०सी०एस-10364339	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	पुजा देवी पति- सटु कुमार ग्राम+पो०-सवानी थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना एम०सी०एस-10360753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

25	राज कुमारी देवी पति-आदित्य नारायण सिंह ग्राम-मौली नगर पो0-मनेर थाना मनेर जिला पटना एम0सी0एस-10364447	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	लालती देवी पति-अर्जुन राय ग्राम-जय नगर माधोपुर पो0-माधोपुर थाना मनेर जिला पटना एम0सी0एस-10256913	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	रानी देवी पति-अर्जुन उरॉव ग्राम- कुकरौन न0-01 पोस्ट-कुकरौन न0-02 थाना-धमदाहा जिला पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 1835/ 10347726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	विश्वनाथ साह पिता- सुरेन्द्र साह ग्राम-नीरपुर पो0-धनकौल थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-10364222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रेखा कुमारी पिता राजेश पासवान ग्राम-मझौरा पो0-बहेरा थाना-बहेडा जिला-दरभंगा एम9सी0एस-10361606	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मीरा देवी पति- नन्द किशोर सिंह ग्राम- शेखपुरा पो0- बहरौली थाना-मशरक जिला सारण छपरा एम0सी0एस-ई0 86476/ 10232369	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

31	कियामुद्दीन मियां पिता-सुखल मियां ग्राम-पिठौरी तकियापर पो0-पैगम्बरपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-10363069/बी0 3193	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	सदीप कुमार पिता-बिरेन्द्र प्रसाद ग्राम-कपुर पकडी पो0-कपुर पकडी थाना-शिकारगज जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 69323/ 10315215	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
33	शारदा देवी पति-दुधनाथ मुसहर ग्राम-साखे खास पो0-साखें खास थाना-उचका गाव जिला- गोपालगज एम0सी0एस-10363083	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	रीना देवी पति-राज कुमार पासवान ग्राम-विशनुपुर पोस्ट-खोपी थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-10362569	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रविन्द्र यादव पिता- स्व0 बालेश्वर यादव ग्राम- पकरियावाँ पो0-बजीरपुर थाना- बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस-10364113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	धीरज तिवारी पिता-हकीश तिवारी ग्राम- जयतीपुर डीह पो0-जयतीपुर थाना- घोषी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-10351706/जी0 5815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

37	अरुण पासवान पिता- विपत पासवान ग्राम- पस्तवार पो0-खिरहो बलुआहा थाना-महीषी जिला- सहरसा एम0सी0एस-10120851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	किसवा देवी पति-स्व0 नागेशर पासवान ग्राम-नौवाचक वार्ड 8 पो0-नौवाचक थाना-पातेपुर जिला वैशाली एमसीएसन0-एफ 61839	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
39	गुलशन खातुन पति- मो0 मुस्तफा ग्राम-मुरारपुर दरियापुर वार्ड 3 पो0-हाथीदह थाना-हाथीदह जिला पटना एमसीएसन0-10362831	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
40	सुम्मी कुमारी पिता-चन्द्रशेखर ठाकुर ग्राम-परावन पो0 बिशुनगज थाना-घोषी जिला- जहानाबाद एमसीएसन0-10363249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मजु देवी पति- दिनेश प्रसाद ग्राम-नन्दलाल बिगहा पो0-फरहा थाना नेमदारगज जिला नवादा एमसीएसन0-एफ 89102/	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
42	राम कुमारी देवी पति-राम लक्ष महतो ग्राम-नवडेगा पो0-दोहत नारायण थाना-बहेरी जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 95141	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	सादिया परवीन पिता-मो0 रियाजुद्दीन अहमद ग्राम+पो0 दाउदपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 92324	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

44	हेवन्ती देवी पति-बलिराम राम ग्राम-बगरा पो0-उदन्त राय के बंगरा थाना-थावे जिला गोपालगंज एम0सी0एस-10363052	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	रमिता देवी पति-राम बाबु प्रसाद ग्राम नरहन पो0 नरहन थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एम0सी0एस-10362043	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	माधुरी देवी पति-स्व0 कपिलदेव प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम-अहवर शेख सुखलहीपुल पो0-आलमगंज बाजार थाना मझौलीया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-103644791	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	भागमनी देवी पति-राज कुमार साह ग्राम-शिवरही मठिया पो0-मझरिया किशुन थाना-जगदीशपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 5445	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	सोना देवी पति-स्व0 उदय प्रसाद ग्राम-चौक शिकारपुर पोस्ट-झाउगज थाना-चौक जिला पटना एम0सी0एस-10362534	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राजदेव साह पिता-दुलारचन्द साह ग्राम-अजगरी मठ पो0-अजगरी मठ थाना-बजरिया जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10352384	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रामावती देवी पति-राघो प्रसाद ग्राम-लालपुर पो0-ईमाथाना-माझी जिला-सारण एम0सी0एस-10342777 / एफ 96885	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

51	मन्तुरणी देवी पति-नरेश दास ग्राम-बनकटवा पो0-बनकटवा थाना-जितना जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 14060 / 10359951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	अशोक पाल पिता-फुलो पाल ग्राम-शकर पट्टी पो0-महम्मदगज थाना-राजेश्वरी जिला-सुपौल एम0सी0एस-10364277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
53	जवाहर प्रसाद पिता-दीप यादव ग्राम-पुलपर पो0-मडाचछ थाना-तेल्हारा जिला नालदा एम0सी0एस-10361263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
54	लालु राय पिता- प्यारदद राय ग्राम+पो0-डुमरी छपिया थाना-तरैया जिला-सारण एम0सी0एस-10360649	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	अमन राजा पिता-इसराईल ग्राम-महेशपुर पो0-सीतलमनी थाना आजम नगर जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 13358	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
56	बबलु यादव पिता-भोला यादव ग्राम-सलेमपुर पोस्ट-डीहा थाना-थरथरी जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 8380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

57	मुन्नी देवी पति-चितरजन सिंह ग्राम+पो0-उदवत नगर थाना-उदवंत नगर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-10363747	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	वीणा देवी पति-अरुण सिंह ग्राम-रघुराम टोला औटा पो0-औटा थाना हाथीदह जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88908/ 10334800	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	सतोष कुमार सिंह पिता-देव मुरत सिंह ग्राम-बडकी कोठियाँ पो0-उपाध्यापुर थाना औद्योगिक जिला-बक्सर एम0सी0एस-10362706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	उत्तम कुमार पिता- दिनेश चौधरी ग्राम-चदा पो0-अरक थाना-चक्की जिला बक्सर एम0सी0एस-10363171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	शान्ति देवी पति-राम पासवान ग्राम-नेमदारगज पो0-औधे थाना-हथियावा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-ई0 61498/ 10207391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	रीता देवी पति- रतन पासवान ग्राम+पो0-पडसर थाना- काराकाट जिला रोहतास एम0सी0एस-10347662	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

63	लालमती देवी वति-बलिस्टर यादव ग्राम-बार चांप पो0-सेमरिया थाना कटेया जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 13398	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
64	सिघारो देवी पति- सुरेन्द्र पासवान ग्राम- जलपुरा पो0-मसौडा थाना-पालीगज जिला-पटना एम0सी0एस-10363600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
65	राहुल कुमार पिता-बबलु यादव ग्राम-भुसवर पो0-भुसवर थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-10356984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
66	उमेश राम पिता-सखी राम ग्राम-अगरपुर पो0 लालगज थाना-लालगज जिला वैशाली एम0सी0एस-10362665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
67	प्रतिमा देवी पति-चंदन ठाकुर ग्राम-राम नगर पो0 पॉलिटैकनिक थाना-सहायक मरगा जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-10363527	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
68	लालमुनी देवी पति-नवल रजक ग्राम-देवकुली पो0-मुसेपुर थाना- बिहटा जिला पटना एम0सी0एस-ई0 43968/ 10189861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

69	मीरा देवी पति- राम गणेश राय ग्राम- सिमरी दुधीपट्टी पो0- सिमरी थाना-सिमरी जिला बक्सर एम0सी0एस-10365203	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	कुणाल मालाकार पिता- पारस मालाकार ग्राम- नौरंग पो0- नौरंग थाना- मुफ्फसिल जिला- गया एम0सी0एस-एफ 91284	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
71	हैदर अली पिता- स्व0 अब्दुल हमीद ग्राम- बडी दरगाह पो0- शेखपुरा थाना- शेखपुरा जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-10306531/एफ 60639	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
72	भरत यादव पिता-रामफल यादव ग्राम+पो0-लौकहा थाना-लौकहा ओ0पी0 जिला- सुपौल एम0सी0एस-10363159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	रामेश्वर साह पिता- शिवजी साह ग्राम- सरेया बदुराहा पो0- डुमरिया थाना-डुमरिया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10361401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	जहरी देवी पति- प्रमोद दास ग्राम- डुमरियापो0- पलासी थाना- नरपतगज जिला अररिया एम0सी0एस-10362663	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	पनपतिया देवी पति-दीनानाथ राय ग्राम- मोहरमपुर पो0- बसत थाना- गरखा जिला- सारण एम0सी0एस-जी0 4063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
76	सजुला कुमारी पति- सतीश कुमार ग्राम- परसिया पो0- नगवा पथरा थाना-इमामगज जिला- गया एम0सी0एस-जी0 6650	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
77	सुरत भगत पिता- राम सेवक भगत ग्राम- महेशपुर पोस्ट- डी0के0 शिकारपुर थाना-शिकारपुर जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10364677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
78	मास्टर आजाद कुमार पिता- महेश यादव ग्राम-वार्ड 07नरपा पो0- नरपा थाना-लरझाघाट जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-10364934	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
79	सीमा देवी पति-उमेश प्रसाद ग्राम-मोहम्मदपुर पोस्ट-मोहम्मदपुर थाना-अस्थावा जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 16979	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
80	कल्पना दास पति- शकर दास ग्राम- जीयार पो0-छोघडा थाना-आबादपुर जिला कटिहार एम0सी0एस-ई0 82055 / 10227948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

81	अर्पना कुमारी पिता मनीष कुमार ग्राम-शिकारपुर पो0 शिकारपुर थाना-सिकटा जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-10364556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	रामप्रीत साह पिता-राम खेलावन साह ग्राम-वार्ड न0-08 जिरौल पो0- जिरौल थाना-खिरहर जिला- मधुबनी एम0सी0एस-10363313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	रेशमा देवी पति-विजय कुमार यादव ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0-सिन्हा थाना सिन्हा जिला- भोजपुर एम0सी0एस-जी 10832 / 10356723	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	मजु देवी पति- बिरेन्द्र सिंह ग्राम-ठोरी पाण्डेयपुर पो0-मुरार थाना मुरार जिला बक्सर एमसीएसन0-एफ 35022	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
85	मो0 जसीम पिता-तासीर उद्दीन ग्राम-अठियाबाडी वार्ड 09 पो0-ताराबाडी थाना-गर्भडागा जिला-किशनगज एम0सी0एस-10363688	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	सतोष पंडित पिता-स्व0 धरखन पंडित ग्राम-पटेल नगर नियर डा0 बी0 भट्टाचार्य, पो0-एल बी0 एस नगर, थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना एम0सी0एस- 10363779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

87	ज्योती कुमारी पिता— घनश्याम मडल ग्राम—फनहन पो0—रहटा थाना—उदाकिशुनगज जिला— मधेपुरा एम0सी0एस—10364259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
88	राजमुनी देवी पति— सुरेन्द्र यादव ग्राम—पदमिनीयों पो0— महुली घाट थाना— कृष्णगढ जिला— भोजपुर एम0सी0एस—10360963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
89	अभय रजन पिता—स्व उमा शकर लाल कर्ण ग्राम—राजापुर गेट न0—31 पो0—जी0पी0ओ0 थाना—कृष्णापुरी जिला पटना एम0सी0एस—10363705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
90	कुन्दन देवी पति— हीरा कुमार ग्राम— मोहनपुर पो0—मोहनपुर थाना पीपरीया जिला— लखीसराय एम0सी0एस—10361287	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
91	सगीता देवी पति—मिसरजन साह ग्राम— कनकपुर पोस्ट— ईशमेला थाना— दीघवारा जिला सारण एम0सी0एस—10363711	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
92	फुलमुनी देवी पति—रामेश्वर राम ग्राम—माधोपुर राम पोस्ट—इमादपुर थाना— सराय जिला— वैशाली एम0सी0एस—10363586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
93	मुसाफ़ीर सिंह पिता— रघुनाथ सिंह ग्राम— नटहचक पो0— कच्ची दरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना एम0सी0एस—10362970	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

94	भुवन कुमार राय पिता— स्व० नरेन्द्र राय ग्राम— अकबरपुर पो०— अकबरपुर थाना— भवानीपुर जिला— पूर्णिया एम०सी०एस—एफ 93812	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
95	सीता देवी पति— सिगेश्वर मडल ग्राम— मुरलीगज काशीपुर पो०— मुरलीगज थाना— मुरलीगज जिला— मधेपुरा एम०सी०एस—जी० 8893 / 10354784	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	विष्णुदेव सिंह पिता—दुख हरण सिंह ग्राम— पचगछिया पो०—पचगछिया थाना— बिहरा जिला— सहरसा एम०सी०एस—10365236	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	कुन्ती देवी पति— श्रीराम पंडित ग्राम— आलापुर पोस्ट— आलापुर वार्ड 02 थाना— पचरूखी जिला— सीवान एमसीएस—10362366	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
98	आकाश कुमार पिता— देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्राम— नयागाव सेमेन्ट्री रोड ए ए सी सीमेट गली पो०— जमालपुर थाना— इस्ट्र कॉलोनी जिला— मुंगेर एमसीएस न०— डी 78659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 75,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,10,000/- (पचहत्तर लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1720(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजू देवी पति-सतोष कुमार ग्राम- गुलौरा वार्ड 02 पो०- करवाताही बाजार थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगंज सीआर न०- 108112600453008	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कुलदीप प्रसाद यादव पिता- भारत प्रसाद यादव ग्राम- मलियाचक वार्ड 14 पो०- बिशनपुर थाना- धोरैया जिला- बांका सीआर न०- 108112108112600163549	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	साबित्री देवी पति- राम सेवक दास गुप्ता ग्राम- रामपुर रजवा वार्ड 03 पो०- हसनपुर सुगर मिल्स थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112600704558	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुशीला देवी पति- स्व० बुल्ला राम ग्राम- गोला रोड गजाधर चक पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न०- 108112402315001	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	माधुरी देवी पति- राजेद्र प्रसाद ग्राम- ईस्ट भिखाचक वार्ड 13 पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112501487219	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धनेश्वरी देवी पति-बासुदेव मडल ग्राम- बीडी बेगा वार्ड 06 पो0- भोजपुर थाना- बरदाहा जिला- अररिया सीआर न0- 108112600073485	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रीता देवी पति- राम कुमार गुप्ता ग्राम- मराची इंग्लिश पो0+थाना- मराची जिला- पटना सीआर न0- 108112500463502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रजू मिश्र पति- अजय मिश्र ग्राम- सहियारा वार्ड 08 पो0+थाना- सहियारा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300018121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रिकी देवी पति- मनोज राय ग्राम- सुजावलपुर पो0- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112300140075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शत्रुधन राय पिता- जयनाथ राय ग्राम- छोटा झौआ पो0- झौआ थाना- अवतारनगर जिला- सारण सीआर न0- 108112600708561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	गंगा प्रसाद मडल पिता- रामेश्वर मंडल ग्राम- जलुवार पो0- मानपुर थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300727840	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	उमेश कुमार यादव पिता- स्व० जय नारायण यादव ग्राम- खेदलीचक वार्ड 02 पो०+थाना- मीरगज जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112400490642	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सोना भान पिता- हुसैन अली ग्राम- दुर्गापुर वार्ड 04 पो०- सुखासन थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न०- 108112501753954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	प्रदीप पासवान पिता- सकिन्द्र पासवान ग्राम- राजोपुर वार्ड 05 पो०- कटरमाला थाना- डडारी जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112601181630	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	लालबाबू साह पिता- सिधासन साह ग्राम- बरवाबारी पो०- आइबलिया थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112601075422	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	कृष्णा देवी पति- गणेश साह ग्राम+पो०- नकरदेवा थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112601082381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	अफरोजी खातून पति- मुजीबुर असारी ग्राम- भतौलिया वार्ड 13 पो०- पतहि थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112403101710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	बिन्दु देवी पति- साधु सहनी ग्राम- बिशुनपुर पट्टी वार्ड 10 पो०- बिशुनपट्टी थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112600352866	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	नीलम पति- रंजीत कुमार सिंह ग्राम- हस्तिनापुर पो0- भलुआ थाना- शुभगज जिला- बाका सीआर न0- 108112500253877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सतेद्र चौधरी पिता- हजारी चौधरी ग्राम- गंजपर वार्ड 12 पो0- बदरवाली थाना- चडी जिला- नालदा सीआर न0- 108112600920161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	बन्दना देवी पति- जसवंत कुमार चौधरी ग्राम+पो0- शेरपुर ढेपुरा थाना- विद्यपतीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503444592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मजू देवी पति- संतोष सिंह ग्राम- अलावलपुर वार्ड 02 पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर न0- 108112300639584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	दीपक दास पिता- छोटकन दास ग्राम- गगजला दास टोला पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112500963480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मंदोदरी देवी पति- छबिनाथराम ग्राम- मौनी पो0- बरैला थाना- शिवसागर जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112601285508	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	अखिलेश्वर ठाकुर पिता- रूपचन्द्र ठाकुर ग्राम- बलथी पो0- दलदल थाना- भेजा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112400918316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	विकास कुमार पिता- भोला साह ग्राम- नन्दवारा वार्ड 09 पो0- बेल थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112601254408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सुनीता देवी पति- सुमगल राय ग्राम- पौडा मदन सिंह वार्ड 09 पो0- पौडा थाना- सराय जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300219607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	अमानत हुसैन पिता- मीयाजन मिया ग्राम- छोटी लकडी वार्ड 11 पो0+थाना- लकडी जिला- सिवान सीआर न0- 108112601198036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	प्रदीप राम पिता- रामजन्म राम ग्राम- पचपोखरि वार्ड 04 पो0- मुगिया थाना- टडवा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112502038523	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मजू देवी पति- अमरनाथ महतो ग्राम- केशव सोनपुर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112601112433	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सचिन कुमार शर्मा पिता- हरी शर्मा ग्राम+पो0- सरौजा थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112300714853	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	कुशल देवी पति- स्व0 गणेश लाल सिंह ग्राम+पो0- चादपुर थाना- पोठिया जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600667652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	यासमिन बानो पति- मो० तसलीम आलम ग्राम- अशोक राज पथ गाधी सग्रहालय वार्ड 27 पो०- जी०पी०ओ० थाना- गाधी मैदान जिला- पटना सीआर नं०- 108112503594241	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	मो० वसीर पिता- मो० अली हसन ग्राम- दोरमा पो०+थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112502966552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	गिरानी देवी पति- भागवत ठाकुर ग्राम- सकरोडा वार्ड 12 पो०- भोभी थाना- नगरनौसा जिला- नालदा सीआर नं०- 108112502954279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रामवती देवी पति- उदेशी महतो ग्राम- इंदरवा पो०- डलकवा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112300708942	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	पूनम देवी पति- श्यामनदन यादव ग्राम- भरथुआ वार्ड 01 पो०- भरथुआ थाना- काको जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112400880041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	प्रीति कुमारी पिता- सत्यनारायण सिंह ग्राम- खैरा वार्ड 07 पो०- घेउरा थाना- रिसियप जिला- औरंगाबाद सीआर नं०- 108112601422025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	रेखा देवी पति- दिलीप मंडल ग्राम- पुरानी दुर्गा सीन वार्ड 13 पो०+थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न०- 108112600829930	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	सुनीता देवी पति— रामशरण सिंह ग्राम— तरबन्ना वार्ड 17 पो0— पचवीर थाना— साहेबपुर कमाल जिला— बेगूसराय सीआर न0— 108112601285281	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	चेता देवी पति— बृजकिशोर सिंह ग्राम— सोबेया वार्ड 17 पो0— सोबेया थाना— कोटवा जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 108112600000861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	राजेश कुमार पिता— कृष्णा प्रसाद ग्राम— नई कॉलोनी छोटकी डेलहा वार्ड 03 पो0— आरएस गया थाना— डेलहा जिला— गयाजी सीआर न0— 108112601134925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	भूपाल यादव पिता— विन्देश्वरी यादव ग्राम— साहपुर पो0— परमानंदपुर थाना— शमुगज जिला— बाका सीआर न0— 108112600793445	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मुन्नी देवी पति— नंदलाल सिंह ग्राम+पो0— मथुरापुर थाना— खगडिया जिला— खगडिया सीआर न0— 180112403245827	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सूरज कुमार पिता— सजय शर्मा ग्राम+पो0— शिकारपुर थाना— सोनपुर जिला— सारण सीआर न0— 108112600057912	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	श्याम कुमार पिता— विनोद ताती ग्राम— तुलसीपुर वार्ड 17 पो0— साख थाना— मुफ्फसिल जिला— बेगूसराय सीआर नं0— 108112300944492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	रेनू देवी पति- लाल बिहारी प्रसाद ग्राम- रामपुर वार्ड 09 पो0+थाना- खगौल जिला- पटना सीआर न0- 108112400976405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	कमला देवी पति- बरमेश्वर मिश्रा ग्राम- नगपुरा वार्ड 03 पो0- नगपुरा थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112600541021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	पन्नू लाल पिता- यदु यादव ग्राम- पनहारा वार्ड 06 पो0- बेला तराही थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर नं0- 108112503148918	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	आतिश कुमार पिता- गणेश कुमार महतो ग्राम- भेलवा पो0- सदीप थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 1081123008772360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	राजू शर्मा पिता- हरी नारायण शर्मा ग्राम- बिशुनपुर बेझा वार्ड 11 पो0- बिशुनपुर बेझा थाना- महुआ सीआर न0- 108112601275421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	संतोष साह पिता- राम प्रकाश साह ग्राम+पो0- पतैलिया थाना- विभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300658368	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	दिलीप तपेसर राय पिता- तपेसर राय ग्राम- सुग्गा पो0+थाना- बखरी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601096063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	सुनीता देवी पति- सुवोध बिन्द ग्राम- लोशघानी वार्ड 08 पो0- लोशघानी थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय सीआर नं0- 108112600922199	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	धर्मशीला देवी पति- राजेश सिंह ग्राम+पो0- छोटा सासाराम थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112601120584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	उपेन्द्र यादव पिता- रामफल यादव ग्राम+पो0- सोठगाव थाना- हरलाखी जिला- गधुबनी सीआर नं0- 108112502670271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	कर्यानंद सिंह पिता- बिदा सिंह ग्राम- गोखुला वार्ड 14 पो0+थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई सीआर नं0- 108112503658479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	कारु कुमार पिता- नदू महतो ग्राम+पो0- लोहरा थाना-हरनौत जिला- नालदा सीआर नं0- 108112601128895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	आलोक कुमार ठाकुर पिता- गुलाब ठाकुर ग्राम- फजालाबाद बोधा चक पो0- मित्तन चक थाना- परसा बाजार जिला- पटना सीआर नं0- 108112600787399	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
60	रजेश राय पिता- अशोक राय ग्राम- विद्यार्थी टोला वार्ड 38 पो0- मानसी थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112601265833	हीप रिप्लेसमेट	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत ।

61	आशा देवी पति- शम्भू नाथ सिंह ग्राम- दुधरा वार्ड 01 पो0- दूधरा थाना-गोरेयाकोठी जिला- सिवान सीआर न0- 108112601148764	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
62	सोनू लाल पिता- सतोष लाल ग्राम- सिसवार पो0- तुर्की थाना-कुदरा जिला- कैमूर भभुआ सीआर न0- 108112300334872	Nephrotic Syndrome	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
63	पिकी देवी पति- राहुल कुमार ग्राम- दशरथा चमार टोली वार्ड 30 पो0- अनीसाबाद थाना- बेउर जिला- पटना सीआर न0- 108112401828736	Pancreatitis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
64	प्रकाश कुमार पिता- शम्भू शर्मा ग्राम- भट्टबिगहा पो0+थाना- रामपुर जिला- गयाजी सीआर न0- 108112403648174	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	रूनी कुमारी पिता- सुनील शर्मा ग्राम- नगाईन देवहारा वार्ड 09 पो0- देवहारा थाना- गोह जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112403690189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	योगेद्र प्रसाद भगत पिता- जानकी प्रसाद भगत ग्राम+पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112601400838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	कुलदीप कुमार पिता- सुरेश महतो ग्राम- पचभिरवा वार्ड 09 पो0- मधौल थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112502196188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	पिन्टू कुमार पिता- सिकंदर राय ग्राम- कोदरिया मागो पो0- बडादाउद थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503210681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	प्रभात कुमार पिता- अरुण कुमार यादव ग्राम- हनुमान नगर वार्ड 04 पो0- भरवारी थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112400146321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	हृदया साहनी पिता- देवकी साहनी ग्राम- मेहवा पो0- छपरा बहास थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600231145	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	सुदामा कुमार पिता- तारनी मडल ग्राम- हसु सिंह टोला पो0- हरिणमार थाना- हरिनमार जिला- मुगेर सीआर न0- 108112601232595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	रेखा कुमारी पति- लक्ष्मण कुमार साह ग्राम- पुरानी बाजार काली स्थान पो0- तेघडा थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112300394263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	नम्रता सिन्हा पति- प्रेम कुमार सिन्हा ग्राम- बिराटपुर मोहल्ला डाँ0 ललिता बाबू रोड पो0- औरंगाबाद थाना- औरंगाबाद जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401333150	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	मासूम अली पिता- महामुद्दीन सिद्दिकी ग्राम+पो0- खजुहट्टी थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112501005541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	सजू देवी पति- गोपाल प्रसाद साह ग्राम- सिंहोरिया पो0- बेरुई थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 10811300572188	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
76	जय प्रकाश नारायण पिता- जनार्दन लाल ग्राम- जलालपुर पो0- गुलटेनगज थाना- मुफसिल जिला- सारण सीआर नं0- 108112601367261	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
77	मेधा कौर पिता-हरिचरण सिंह ग्राम-बी0 के दत्त लेन हनुमान पथ नई एरिया जक्कनपुर पोस्ट-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना सीआरनं0-108112601267755	कैसर रोग	1,30,000	एक लाख तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
78	जयती देवी पति-मुन्ना प्रसाद ग्राम- दयाचक माली टोला पोस्ट+थाना- बाढ जिला- पटना सीआरन0- 108112503049266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			63,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 63,20,000/- (तीरसठ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

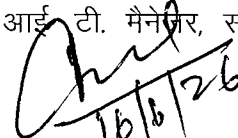
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1721(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध सस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दन कुमार पिता- शिव चंद्र सिंह ग्राम- गढ पर पो०- रामपुरचाय थाना- देवकुड जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	कमल रजक पिता- ब्रह्मदेव रजक ग्राम- अवगिल रामपुर पो०- पहाडपुर थाना- मेदनी चौकी जिला- लखीसराय	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	भरत लाल पिता- परमानन्द ठाकुर ग्राम+पो०- बरनी थाना- धनरुआ जिला- पटना	हृदय राग एभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	सदरूल मिया पिता- छबू मिया ग्राम- आजमनगर पो०- रामपुर कोदरकट्टी थाना- अररिया जिला- अररिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	राधा साह पिता- केदार साह ग्राम+पो०- मैदा बभनगामा थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मुनित देवी पति- सेठ राम ग्राम- रसलपुर पो०- ओरियावा थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

7	अरविन्द कुमार पिता- श्याम सुन्दर प्रसाद ग्राम- शास्त्री कॉलोनी पो0+थाना- जमुई जिला- जमुई	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राजा पाडेय पिता- स्व0 रामचद्र पाडेय ग्राम+पो0+थाना- पिरो जिला- भोजपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	राजकुमार साह पिता- राम प्रसाद साह ग्राम- बाबा सीन रोसरा पो0+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	फुलेश्वरी देवी पति- बैजू राय ग्राम+पो0- बाकरपुर थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	ओम प्रकाश पिता-ब्रज नंदन सिंह ग्राम- चदू बीघा वार्ड 08 पो0- विजयपुरा थाना- धनरूआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	रामबिलाश सिंह पिता- स्व0 हरिहर सिंह ग्राम- करना वार्ड 13 पो0+थाना- परबत्ता जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सुनीता देवी पति- सिकंदर यादव ग्राम- मीरनचक पो0- चकदारिया थाना- लोदीपुर जिला- भागलपुर	हृदय रोग डीवीआर	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
14	बौधू यादव पिता- तूटो यादव ग्राम- कुमरचक्की वार्ड 07 पो0- रहीमपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	मुकेश कुमार सिंह पिता- स्व0 बिद्या नन्द सिंह ग्राम- अबगीला पो0- मोहनपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

16	रुकमणी देवी पति- जवाहर राय ग्राम- मुगेरीगज हीराला चौक पो0+थाना- बेगूसराय जिला-बेगूसराय	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			15,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,80,000/- (पन्द्रह लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1722(14)

पटना, दिनांक 16/6/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आर्. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिंदु देवी पति- नकुल सिंह ग्राम- लेरुआ वार्ड 04 पो०- तेजपुरवा थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर नं०- 109112501206035	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रेखा झा पति- भोगेन्द्र झा ग्राम- इद्रा निवास अजीज लेन गौरियामठ वार्ड 09 पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर नं०- 109112401523343	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	परमेश्वर राय पिता- नगीना राय ग्राम- बिदबहुआरा वार्ड 03 पो०- नगरा थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर नं०- 109112502467266	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	छेदी पासवान पिता- नेपाल पासवान ग्राम- बरेल वार्ड 02 पो0- बरेल थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 109111901295049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सुरेश साह पिता- शिवजी साह ग्राम- चकफैल वार्ड 04 पो0- सुक्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 109112301890489	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	प्रिन्स कुमार पिता- मिथलेश दास ग्राम- बुद्धिमानपुर वार्ड 02 पो0- काजी महम्मदपुर थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 109112600929391	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	ऋषव राज पिता- पकज कुमार ग्राम- चौपडा पो0- मकेली बेलगच्छी थाना- डमरुआ जिला- पूर्णिया सीआर न0- 109112600710837	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	ममता देवी पति- सजय कुमार साह ग्राम- कलाली चौक सबौर वार्ड 03 पो0+थाना- सबौर जिला- भागलपुर सीआर न0- 109112502628367	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	श्रेया सिंह पिता- सजोश कुमार ग्राम- चकजमाल वार्ड 05 पो0+थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर न0- 109112500372993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	आलिया प्रवीण पिता- मुन्ना आलम ग्राम- परौली टोला चनुआ पो0- परौली थाना- बसतपुर जिला- सिवान सीआर न0- 109112500463620	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

11	लालमुनी देवी पति— सुदर्शन सिंह ग्राम+पो0— जमुई थाना— दुल्हन बाजार जिला— पटना सीआर न0— 109112200663023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	दिलीप कुमार पिता— तेतर महतो ग्राम+पो0— हुसैनाबाद थाना— अरियरी जिला— शेखपुरा सीआर न0— 109112600882620	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
13	सरोज पाण्डेय पिता— स्व0 राम बारात पाण्डेय ग्राम— सबलपुर पो0— कोटवा पट्टी रामपुर थाना— डोरीगज जिला— सारण सीआर न0— 109112502884681	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	मुन्नी देवी पति— स्व0 सुरेन्द्र शर्मा ग्राम— मखदुमपुर डीह पो0+थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद सीआर न0— 109112502498722	Esophagectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	रीता देवी पति— गुरुचरण सिंह ग्राम— महमूद चक वार्ड 09 पो0+थाना— नयागाव जिला— सारण सीआर न0— 109112300966414	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
16	साकेत कुमार पिता— बैजू कुमार ग्राम— नवही पो0— तिसखोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना सीआर न0— 109112600838035	हृदय रोग पेसमेकर	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	कौशल किशोर पिता— श्री देव प्रसाद ग्राम— सुतुरखाना पो0— बाक थाना— मुफसिल जिला— मुंगेर सीआर न0— 109112601098507	Cystoureterosco py	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
18	आकाश कुमार सिंह पिता— सदानंद सिंह ग्राम— कोठिया वार्ड 07 पो0— महादेवपुर थाना— अमरपुर जिला— बाका सीआर न0— 109112601088587	Elbow Amputation	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

19	मनीष कुमार पिता— तारकेश्वर राम ग्राम+पो0— लतरहिया थाना— परसा जिला— सारण सीआर न0— 109112600973498	Left Hip Replacement	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
20	सजरी खातून पति— शाहबुदीन ग्राम— माडिहा पो0— सल्सला थाना— सोनवर्षा जिला— बक्सर सीआर नं0— 109112502733446	Biceps SCR	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	बिनोद कुमार गुप्ता पिता— जगदीश प्रसाद ग्राम+पो0+थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद सीआर न0— 109112500574995	Arthroscopic Bankart's repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
22	कुमार अशु पिता— अमरदीप कुमार ग्राम— नरौहिया पो0— चादपुर थाना— फलका जिला— कटिहार सीआर न0— 109112601058637	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
23	कबलेश सिया पति— राम नदन सिंह ग्राम— सुखी बिगहा पो0— हृदयचक्र पो0— कलेर जिला— अरवल सीआर न0— 109112600706231	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
24	मजीया देवी पति— उपेन्द्र यादव ग्राम— जगबानी पो0— भवानीपुर थाना— रिया जिला— मधेपुरा सीआर न0— 109112601032786	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	मो0 ताज पिता— सहीमुद्दीन असारी ग्राम— अलमिजान नगर पो0+थाना— फुलवारीशरीफ जिला— पटना सीआर न0— 109112501019570	Bull	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	प्रीति कुमारी पिता— जयप्रकाश पंडित ग्राम— बसतपुर पो0— जैतपुर थाना— पारु जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 109112500616604	हृदय रोग टीओएफ	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

27	प्रभावती देवी पति— बबन यादव ग्राम— नोनियापुर पो0— करहसी थाना— मुफ्फसिल जिला— बक्सर सीआर न0— 109112401522428	chronic Lymphocyte (Cancer)	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
28	सुशीला देवी पति— ब्रह्मचारी प्रसाद ग्राम+पो0— अजयपुर थाना— नूरसराय जिला— नालदा सीआर न0— 109112600655283	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
29	उज्जवल कुमार पिता— मनोज कुमार सिंह ग्राम— पिरौता खास पो0— पिरौता थाना— बनियापुर जिला— सारण सीआर न0— 109112600947373	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
30	गोपाल चंद्र साहा पिता— मुनेश्वर प्रसाद साह ग्राम— मोलनापुर पो0— बारसोई घाट थाना— बारसोई जिला— कटिहार सीआर न0— 109112600629771	ACL	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
31	जनार्दन पंडित पिता— अर्जुन पंडित ग्राम— वाहितपुर पो0— सोनमई थाना— गौरीचक जिला— पटना सीआर न0— 109112502070501	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
32	सैयद मोहम्मद परवेज अहमद पिता— सैयद शमीमुद्दीन ग्राम— इमाम कॉलोनी पो0+थाना— फुलवारीशरीफ जिला— पटना सीआर न0— 109112101024205	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
33	रीता देवी पति— सजीव साव ग्राम— मोगलपूरा डीह ग्राम— लखनपुरा थाना— बख्तियारपुर जिला— पटना सीआर न0— 109112600207612	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

34	राजन कुमार श्रीवास्तव पिता- लक्ष्मण कुमार श्रीवास्तव ग्राम+पो0- बलुआ थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर सीआर नं0- 109112600856190	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
35	दीपा कुमारी पति- अमित कुमार ग्राम- पथरौरा वार्ड 10 पो0- पाडेय परसावा थाना- मगध मेडिकल जिला- गयाजी सीआर नं0- 109112501683852	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
36	बेबी कुमारी पिता- रामजी चौधरी ग्राम+पो0- दिहुरी थाना- अतरी जिला- गयाजी सीआर नं0- 109112300125169	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
37	सुनीता सिंह पति- जितेद्र कुमार सिंह ग्राम- नामीडिह वार्ड 01 पो0- घटारो थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर नं0- 109112600825821	Peripheral Angioplasty	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
38	देवन्ती देवी पति- कृष्णा साह ग्राम- बिदेसी टोला पो0+थाना- थावे जिला- गोपालगज सीआर नं0- 109112200231557	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
39	रीना देवी पति- सजय कुमार ग्राम+पो0- बेनीबिगहा थाना- बिक्रम जिला- पटना सीआर नं0- 109112600853565	GBM	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
40	मनीष कुमार पिता- राजकिशोर राय ग्राम- मोकीमपुर पो0- सिंघाडा थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना सीआर नं0- 109112600323442	Bankart's repair	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
41	गुलशन कुमार पिता- लखन रविदास ग्राम- बिनोवा टोला वार्ड 06 पो0- कालीप्रसाद थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीआर नं0- 109112502352876	Myclofitrosis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

42	कृष्णा कुमार माथुर पिता— परमेश्वर राम ग्राम— अदर बाजार बेलागज पो0+थाना— बेलागज जिला— गयाजी सीआर न0— 109112400574785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अनिल कुमार सिंह पिता— सुख नदन सिंह ग्राम— बिशुनपुरा वा र्ड 03 पो0— बिशुनपुरा थाना— बिहटा जिला— पटना सीआर नं0— 109112300199758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	प्रेम रजन कुमार पिता— अवध किशोर प्रसाद ग्राम— छोटी इस्माईलपुर पो0— मालदह थाना— बरबीघा जिला— शेखपुरा सीआर न0— 109111901885776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सुमन देवी पति— कुनाल कुमार ग्राम— भखरा वार्ड 06 पो0— साहोबिगहा थाना— घोषी जिला— जहानाबाद सीआर न0— 109111902439753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	राम उदय सिंह पिता— गन्नीनाथ सिंह ग्राम— मनकौरा वार्ड 06 पो0— नयाबिगहा थाना— बाढ जिला— पटना सीआर न0— 109112202095596	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
47	मुर्शिद आलम पिता— मुस्लिम ग्राम+पो0— खैरा थाना— शाहकुण्ड जिला— भागलपुर सीआर न0— 109112600312351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	जलेश्वर प्रसाद पिता— अशफ़ी साह ग्राम— छिन्नवलिया वार्ड 14 पो0— छिन्नवलिया थाना— एकमा जिला— सारण सीआर न07 109112600078898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

49	मानती देवी पति- स्व० झौरी राय ग्राम- कनकटीचक पो०- सकरैचा थाना- परसा बाजार जिला- पटना सीआर न०- 109112500350361	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
50	शिव शकर प्रसाद पिता- स्व० राम प्रवेश साव ग्राम- बीबीगज दलवार रोड पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर नं०- 109112600479281	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
51	रमेश कुमार पिता- सीताराम सिंह ग्राम- निरजन बिगहा पो०+थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर न०- 109112601072796	बोथ हीप रिप्लेसमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
52	सरिता देवी पति- मनीष कुमार तिवारी ग्राम- तिवारी मुहल्ला भखरूवा पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 109112601060119	बोथ हीप रिप्लेसमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
53	सुनीता देवी पति- तुलसी चौधरी ग्राम- सठा पो०- नरौव थाना- अवतारनगर जिला- सारण सीआर नं०- 109112402803501	वन नी रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
54	गायत्री देवी पति- देबू चौधरी ग्राम- बसहा पो०- बरहारा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी सीआर न०- 109112600699256	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	दीपक कुमार पिता- बच्चू महतो ग्राम- बलुआ गौसनगर पो०- डुमरा थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी सीआर नं०- 109112601080845	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

56	करण सिंह पिता- रजीत कुमार सिंह ग्राम+पो0- अल्लीपुर हट्टा थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर नं0- 109112600589787	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
57	विकाश कुमार पिता- रवि ठाकुर ग्राम- पकडी आरा पो0- नवादा आरा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर सीआर न0- 109112500810231	Knee Amputation	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
58	देव विकास पिता- बिकाश कुमार ग्राम- देवी सीन पुरन्दरपुर वार्ड 18 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर नं0- 109112600516496	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
59	कुमार ललित मोहन पिता- कौशलेन्द्र शर्मा ग्राम- सरौती पो0+थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल सीआर न0- 109112600450703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	राहुल कुमार पिता- राधे श्याम पाडेय ग्राम- बाग साधु राम अखाडा पो0- बकेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना सीआर न0- 109112600385286	Chronic Liver disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,90,000/- (साठ लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिल कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1723 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति- जय कुमार यादव ग्राम- पचायत नरपतगज पो0+थाना- नरपतगज जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सरस्वती देवी पति- स्व0 सचितानंद सिंह ग्राम- चकसिंगार बरारी वार्ड 03 पो0- चकसिंगार बरारी थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मिटू देवी पति- स्व0 मुन्ना प्रसाद ग्राम- सिसई पो0+थाना- बरौली जिला- गोपालगंज	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002686... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर

अस्पताल" खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/--

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1724 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार पिता- अशोक गिरी ग्राम- श्रीरामपुर वार्ड 02 पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000633927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मोबसीज आरफी पिता- तस्लीम आरफी ग्राम- पिंजरावाँ वार्ड 09 पो०- पिंजरावाँ थाना- कुर्था जिला- अरवल रजि न०- 3000637521	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	उषा देवी पति-राहुल विजय ग्राम- चित्रकुट नगर रोड नं०-6 दीघा दियारा, पो०-दीघा थाना-दानापुर जिला पटना रजिन०-3000635795	सी०के०डी०	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	केदार राय पिता- मथुरा राय ग्राम- जफरपुर पो०- माधोपुर थाना- दानापुर जिला-पटना रजिन०-3000432720	सी०के०डी०	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	बेबी अनुष्का कुमारी पिता राजेश कुमार सिंह ग्राम- गोदना मोड पो0- रिविलगंज थाना रिविलगंज जिला- सारण रजिन0- 3000641874	कोकलीयर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
6	राजेश रंजन पिता- अशोक कुमार शर्मा ग्राम- पुरन्दरपुर पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना यु0एचआईडी- 3000641906	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	राम सागर प्रसाद पिता- बाल्मीकी सिंह ग्राम-बुधवारा पो0-बुधवारा थाना- थाली जिला- नवादा यु0एचआईडी-3000599141	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	पिन्दु चौधरी पिता- नागेश्वर चौधरी ग्राम-बास कोठी गेट नं 95 पो0- दीघा थाना- दीघा जिला- पटना यु0एचआईडी-3000533847	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	आफताब नसर पिता- एस0 एम0 नसरूल होदा ग्राम-शाह जुबैर रोड दिलावरपुर पो0-मुगेर थाना- पुरबसराय जिला-मुगेर यु0एचआईडी-3000581496	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	अजय कुमार पिता- दिनेश्वरी नन्दन सहाय ग्राम- शिवपुरी कोलनी पो0- मिरजान हाट थाना- ईशाकचक जिला- भागलपुर यु0एचआईडी-30000642721	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	अश्विनी कुमार अरविन्द पिता- स्व0 दशरथ प्रसाद ग्राम+पो0 फडरा थाना घोषवरी जिला- पटना यु0एचआईडी-3000642465	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	श्रवण कुमार पिता—ओम प्रकाश ग्राम—नन्द लाल छपरा पो०— इस्ट लक्ष्मी नगर थाना— राम कृष्णा नगर जिला— पटना यु०एचआईडी—3000639172	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	ललन प्रसाद पिता—भगवान प्रसाद ग्राम—चमण्डीह पो०— चाकन्द थाना— चाकन्द जिला— गया यु०एचआईडी—3000632196	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			11,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,60,000/- (ग्यारह लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम—AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1725(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भूखल साह पिता— सकल देव साह ग्राम— बनवार पो०— सोनिया थाना— दाउदपुर जिला— सारण	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	धर्मेन्द्र कुमार पिता— दयानन्द प्रसाद ग्राम— पचमहला पो०— महमूदा थाना— खुदागंज जिला— नालंदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	उषा देवी पति— बिहारी चौहान ग्राम— लक्ष्मी बीघा पो०— नैली थाना— चडी जिला— नालंदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रण विजय शर्मा पिता— राजु शर्मा ग्राम— आनंद बाजार, दानापुर पोस्ट— दानापुर कैट थाना— दानापुर जिला— पटना	ड्रामा	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक, प्रमुख

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापक 1726 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

1727(14)

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक 16/6/2026

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरेद्र सिंह पिता- शत्रोहन सिंह ग्राम- गोपालबारी मशरक पो0+थाना- मशकर जिला- सारण	CKD	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			90,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1727 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 001686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 16/6/26

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्येंद्र कुमार यादव पिता- सियाराम सिंह ग्राम- चकिया पो०- गारा थाना- कोचस जिला- रोहतास	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	शकुंतला देवी पति- जगदीश प्रसाद ग्राम- नालंदा कॉलोनी रामचंद्रपुर पो०- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मीना देवी पति- जगलाल शर्मा ग्राम- खुटहॉ पो०- नवनी थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	निकी देवी पति- त्रिपुरारी तिवारी ग्राम- खैरवा चौबे टोला पो०- मगुरहा थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	निधि सिंह पिता— अनिल कुमार सिंह ग्राम— जमुनापुर पो0— अलावलपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अवधेश कुमार पिता— देवनदन यादव ग्राम+पो0— पुरैनिया थाना— किंजर जिला— अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			5,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1729(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई0-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीना देवी पति- महेश्वर साह ग्राम- दुर्गौली वार्ड 06 पो0- मनपौर थाना-बेनीपट्टी जिला- मधुबनी	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	मालती देवी पति- नागेश्वर प्रसाद ग्राम- गोवासा वार्ड 06 पो0- गोवासा थाना- नरहट जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कोमल कुमारी पिता- राकेश कुमार ग्राम- कनौली पो0- काजीसराय थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	EPS + RFA	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का

प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एचडीएफसी पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापांक 1730(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 2026/26 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिनेश शाह पिता- रामाधार शाह ग्राम+पो- तिलकताजपुर थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-“बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1731(14)

पटना, दिनांक 16/6/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेक कुमार पिता- पवन कुमार ग्राम- 199ए मुरारपुर बिहाईन्ड एसिया होटल बिहारशरीफ पो०- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	लाल मोहन प्रसाद पिता- शिव शंकर साव ग्राम- असियानानगर मोड खजपुरा वार्ड 05 पो०- बीवी कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	विमल दास पिता- योगेश्वर दास ग्राम- देशराजपुर पो०+थाना- महनार जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1732(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0सं0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहित कुमार पिता- संतोष प्रसाद ग्राम- डालवर रोड पो०- दानापुर कैंट थाना- दानापुर जिला- पटना	Repture Liver Abscess	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	योगेन्द्र सिंह पिता- मुसाफिर राय ग्राम- हरनीचक पोस्ट- अनीसाबाद थाना- बेउर जिला- पटना	ERCP Balloon Dilation	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 85,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 442820110000158 खाता धारक का नाम- DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001, RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

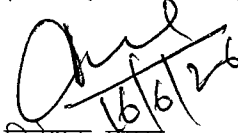
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1733(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक . . .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रकाश राम पिता— स्व० मेघन राम ग्राम— हरिनाथ नगर पो०— बेगूसराय थाना— बेगूसराय टाउन जिला— बेगूसराय	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	श्यामा मिश्रा पति— हिरदय कुमार मिश्रा ग्राम— शांति अभिनव एन्क्लेव पो०— जी०पी०ओ० थाना— जक्कनपुर जिला— पटना	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	अर्चना कुमारी पिता— उमेश सिंह ग्राम— बशीपुर पो०— चटमाडीह थाना— शंभुगंज जिला— बांका	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	जयमती देवी पति— रणवीर सिंह ग्राम+पो०+थाना— हसनपुर जिला— समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,95,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,95,000/- (तीन लाख पनचानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापाक 1734(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतोष चौधरी पिता- देवेन्द्र चौधरी ग्राम- देवेन्द्र चौधरी पहाडपुर पश्चिमी पो0- पहाडपुर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	चन्दर देवी पति- अशोक कुमार यादव ग्राम- नरहिया पो0- नरहिया बाजार थाना- नरहिया जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापक 1735(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रतिज्ञा कुमारी पिता- अजय राम ग्राम- देवी चौडा तुरहा टोली दानापुर, पोस्ट- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना	Anemia Enteric Fever	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 012686 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एचडीएफसी०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

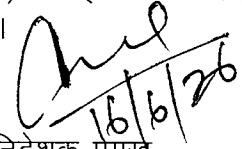
निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/6/2026

ज्ञापाक 1736(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिप्रा कुमारी पिता- फूलन कुमार मिश्रा ग्राम- मोलदियार टोला माकामा पो०+थाना- मोकामा जिला- पटना केस फाईल न०- 19एफ2026/000012	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजू कुमार ठाकुर पिता- जीबछ ठाकुर ग्राम+पो०- सुग्गापट्टी थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 11एफ2024/034274	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	निर्मला देवी पति- विनय पासवान ग्राम- गरहिया टोला पो०- डुमरा थाना- डुमरा जिला- सीतामढी केस फाईल नं०- 19एफ2026/001460	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अशोक कुमार सिंह पिता- चंद्रदीप सिंह ग्राम- तालबोआरी गौसनगर पो०- हसना थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- केई/81832	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मधु सूदन शर्मा पिता- स्व० काशी नाथ शर्मा ग्राम- हाउस न०- 8 प्रणामी पथ गोंधी नगर पो०- जी पी ओ थाना- श्रीकृष्णापुरी जिला- पटना केस फाईल न०- 19एफ2026 / 003764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सगीता देवी पति- सुरेद्र साह ग्राम- दोस्तिया महमदपुर पो०- दोस्तिया थाना- पुरनहिया जिला- शिवहर केस फाईल न०- 19एफ2024 / 000356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	डोली कुमारी पिता- प्रकाश कुमार यादव ग्राम+थाना- हलधरहाट थाना- कुर्साकाटा जिला- अररिया केस फाईल न०- 19एफ2025 / 007326	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	विनोद यादव पिता- वासुदेव यादव ग्राम- खौना पो०- केउर थाना- हुलासगंज जिला- जहानाबाद केस फाईल न०- 19एफ2026 / 002834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मनोज कुमार भगत पिता- स्व० नारायण भगत ग्राम- सिमराही पो०+थाना- राघोपुर जिला- सुपौल केस फाईल न०- 20एफ2024 / 002707	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	सत्येद्र कुमार सिंह पिता- सतलाल सिंह ग्राम+पो०- लखना थाना- गौरीचक जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2026 / 012489	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	जैमला कुमारी पति- राजू कुमार ग्राम- बल्ली सरैया पो०- बखरा थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025 / 005839	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	अमृता कुमारी पति- अखिलेश कुमार सिंह ग्राम- डुमरी टिकुलिया टोला पो0- डुमरी थाना- डोरीगज जिला- सारण केस फाईल न0- 18 एफ 2026/000830	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रीता देवी पति- राजु राम ग्राम- मगरौनी दक्षिणी माखनाही पोखर पो0- मगरौनी थाना- राजनगर जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19 एफ 2026/000706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शिव पासवान पिता- सुरेश पासवान ग्राम- अम्बेडकर नगर वार्ड 04 पो0+थाना- बाढ जिला- पटना केस फाईल न0- 19 एफ 2026/000187	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
15	नवल किशोर साह पिता- ब्रह्मदेव साह ग्राम- बेलही पो0- रामपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19 एफ 2026/001627	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
16	सुनीता देवी पति- सीता राम हजाम ग्राम- देवपुर पो0- कैवाल फरियता थाना- खैरा जिला- जमुई केस फाईल न0- 11 एफ 2025/006257	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कबिता देवी खेतान पति- संदीप कुमार खेतान ग्राम- बाराहाट पो0+थाना- ईशीपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 12 एफ 2025/004041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	विजय कुमार पिता- धुरेन्द्र सिंह ग्राम- मटिया डीह पो0+थाना- देसरी जिला- वैशाली केस फाईल न0- 11 एफ 2026/011753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	मोहन सिंह पिता- शिवनाथ सिंह ग्राम- छतवारा खासपत्ती पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली केस फाईल न0- 11 एफ 2026/009774	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	ललिता देवी पति- लक्ष्मण साह ग्राम- बेदीबन मधुबन पो0- दामोदरपुर थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19 एफ2026/002590	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	नूर जहाँ बेगम पति- मो0 अलाउद्दीन असारी ग्राम- बाजपट्टी गोट पो0+थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी केस फाईल न0- बीयू/14803	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	राम प्रकाश प्रसाद पिता- सुबानन्द प्रसाद ग्राम- कौंटी तिवारी टोला पो0+थाना- कौंटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19 एफ 2026/000819	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	लाल मोहम्मद पिता- सोयाब अली ग्राम- मटिया पो0- रानीपत्रा थाना- मुफस्सिल जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न0- 19 एफ 2026/002846	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मो0 वसी अख्तर पिता- फिजा मिया ग्राम- कोरा खरगी पो0- भुल्ली थाना- परसौनी जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19 एफ 2026/001520	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।

25	ज्ञान्ति देवी पति- सुभाष चौधरी ग्राम- पुजहा पटजिरवा पो0- पटजिरवा थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19 एफ 2025 / 005787	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
26	सुमित्रा देवी पति- मुन्ना चौपाल ग्राम- बसघट्टा पो0- बरैठा थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025 / 002709	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
27	बबन कुमार सिंह पिता- लूटकून सिंह ग्राम- बसतपुर ककरहआ पो0- धोबौली थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली केस फाईल नं0- सीवी/01683	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
28	सीला देवी पति- विश्वनाथ साह ग्राम- बायाडीह पो0- रघुनाथपुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 002202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सुमंत कुमार पिता- यमुना मिस्त्री ग्राम- उमराव बीघा पो0- तारगीर थाना- रजौली जिला- नवादा केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 000372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	अयाश कुमार पिता- राजेश कुमार ग्राम+पो0- करहटिया बुजुर्ग थाना- कटहरा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 002863	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

31	रजीत महतो पिता- बबन महतो ग्राम- हरपुर गोपाल पो0- खानापुर पकडी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 003726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	राम आधार ठाकुर पिता- राम चद्र ठाकुर ग्राम- बाराडीह पो0- बेन्गाही थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19 एफ 2025 / 001331	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	कबिता झा पति- रतीश चद्र झा ग्राम- रजौन पो0- पाली थाना- कमतौल जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 003639	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	देव कुमार पिता- मुन्नू कुमार ग्राम+पो0- मिर्जापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 001494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रबीना खातून पिता- जीमल नदाफ ग्राम- सलेहपुर पो0- पोठिया थाना- फलका जिला- कटिहार केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 001240	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	राजेश मोची पिता- विलट मोची ग्राम+पो0- समसा थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- 19 एफ 2024 / 002333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

37	अर्चना देवी पति- अर्जुन कुमार उपाध्याय ग्राम-केतुका लच्छी पोस्ट- केतुका लच्छी थाना- अमनौर जिला- सारण केस फाइल न0-19एफ2026 / 003185	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			27,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,05,000/- (सताईस लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

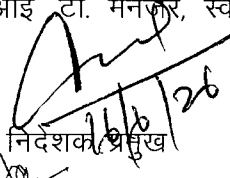
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1737(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002686... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार पिता- मोहन मिश्रा ग्राम- विशुपुर पो०- मिर्जापुर बंदवार थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-00030400000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत

करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

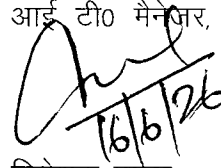
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1738(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	कुमारी लक्ष्मी द्विवेदी पिता/पति- विनय कुमार द्विवेदी ग्राम+पो०- सिसई थाना- भोरे जिला- गोपालगंज	ड्राप्मा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	शुभम पटेल पिता- आनंद सिंह ग्राम- सुधर छपरा पो०+थाना- माझी जिला- सारण	हृदय रोग डीभीआर	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **002686** ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिपत्र में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1739(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)

बी/29 पत्रकार नगर

ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.. ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मैमून निसा पति— हलीम मसूरी ग्राम+पो०— बलिगाव थाना— आयर जिला— भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०— 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002686.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम—“HEART HOSPITAL LTD. ककडबाग पटना 20” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम .. RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1740 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्येन्द्र प्रसाद पिता-राम चन्द्र महतो ग्राम-मैनपुरा कुशवाहा पंचायत भवन दानापुर पो०-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला- पटना	किडनी रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1741(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **10.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	गीता शर्मा पति-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम+पो०-नदौल थाना- मसौढी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दिलिप कुमार पिता- राजा राम यादव ग्राम-नदौल पो०-नदौल थाना-मसौढी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	धन्नी देवी पति-चन्द्रिका यादव ग्राम-नदौल पो०-नदौल थाना-मसौढी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	फुलिया देवी पति-राम ईश्वर यादव ग्राम-नदौल पो०-नदौल थाना-मसौढी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मो० नन्कु पिता-मो० मुंसी ग्राम-ईसापुर मुर्गिया टोला पोस्ट+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	राम प्रताप राय पिता- राघो राय ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	लाखो देवी पति- नवीन कुमार ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	ममता देवी पति-उमेश प्रसाद ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	यमुना सिंह पिता श्याम किशोर सिंह ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	सुशीला देवी पति-सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	बुटाई राम पिता- बखोरी राम ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	उमा शकर साव पिता- राजा राम साव ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	राज कुमार चौधरी पिता- निरजन कुमार ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	वेदामो देवी पति- महेश शर्मा ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	सुनैना देवी पति- प्रेम प्रसाद ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

- 7 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

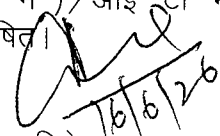
ज्ञापाक 1742(14)

पटना, दिनांक- 16/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक

स0...002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राकेश कुमार पिता-ब्रह्मदेव प्रसाद ग्राम-महानन्द राय गली मैनुपुरा पो०-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	नेत्र रोग Retina	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	हुस्ना बानो पति-मो० सकुर ग्राम-गरेडिया खंड पोस्ट+थाना जहानाबाद जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	चम्पा देवी पति-मुन्ना पासवान ग्राम- नैनचक पो०-खगौल थाना-खगौल जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सनमुखा देवी पति-परमात्मा राय ग्राम+पो०-गीदा थाना-कोईलवर जिला भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	सीता देवी पति-रामेश्वर प्रसाद ग्राम- भोपतपुर पोस्ट- सिरिस थाना बरूण जिला- औरंगाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लक्ष्मी देवी पति- नागेन्द्र यादव ग्राम+पो0-कुजवा थाना- आई0 आई0 टी0 जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुल्ताना खातुन पति- अनवर हुसैन ग्राम- इसपुर बाग मोहल्ला पोस्ट+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	प्रभा देवी पति- राजेश्वर सिंह ग्राम+पो0- विष्णुपुरा थाना बिहटा जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सरिता देवी पति- रामेश्वर सिंह ग्राम+पो0-अनाईठ थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	अनुराधा देवी पति- कामेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-महराज नगर मनेर पो0- मनेर थाना मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	अनिता देवी पिता राजेन्द्र राम ग्राम-कौशल नगर आफ पोलो रोड, पो0-जी0पी0ओ0 थाना- हवाई अड्डा जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सरोज देवी पिता-रामवृक्ष सिंह ग्राम- देवकुली पो0- मुसेपुर थाना- बिहटा जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	कैदार राय पिता- जयश्री राय ग्राम-सुवरमारवाह पूर्वी पो0-पतीला थाना- मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	राम विशुन राय पिता- बनारसी राय ग्राम-सुवरमारवाह पूर्वी पो- पतील थाना- मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	सलीमुद्दीन असारी पिता-मो0 सईद ग्राम+पो0- बेलहौरी थाना-दुल्हिन बाजार जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

16	जवाहर लाल पिता- कुलदीप राय ग्राम-नया टोला दानापुर पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1743 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002686... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
श्री साई लायन्स नेत्रालय
बी0/144, पी0सी0 कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बहार बेगम पति- सैयद शमीम हुसैन ग्राम- नियर शिव मंदिर लाइन बाजार पूर्णियाँ पो0- पूर्णियाँ थाना- सहाक खजाची जिला- पूर्णियाँ	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सलेहा बानो पिता- नाजिम काजमी ग्राम- काजमी दरगह रोड सुल्तानगंज पटना पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	दिनेश प्रसाद पिता- स्व0 द्वारिका राय ग्राम- सराय लक्समी चक पो0- सराय थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सुमित्रा देवी पति- जागो साव ग्राम- मितन घाट बेगमा की हवेली पटना सिटी पो0- झाऊगंज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मनोज कुमार पिता- राम प्रवेश पासवान ग्राम- मठ लक्ष्मणपुर कोयरी टोला पटना पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	पायल कुमारी पिता- सजय कुमार ग्राम- दाहुचक नगला पटना सिटी पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	अभय कुमार पिता- पतिराम शर्मा ग्राम- भैरवा पो0- हरहि मखदुमपुर थाना- अलीपुर जिला- गयाजी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	कोशिला देवी पति- कैलाश सिंह ग्राम+पो0- मर्ची थाना- बाईपास जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	नौशाद आलम पिता- एस एम अली अहमद ग्राम- बी/46 पी सी कॉलोनी ककडबाग पो0- लोहिया नगर थाना- कंकडबाग जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	चन्दा कुमारी पिता- लखन मिस्त्री ग्राम- अलाउदीन चक पो0+थाना- पुनपुन जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	लक्ष्मण महतो पिता- रघु महतो ग्राम+पो0- बिदुपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-442320110000316

खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम— ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1744 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 0026.86 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवनारायण पासवान पिता- योगेन्द्र पासवान ग्राम- तिनेरी पोस्ट-नदौल थाना-मसौड़ी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दामोदर सिंह पिता- मोहन सिंह ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	रविन्द्र यादव पिता- राम ऋगार यादव ग्राम- मोकर पो0- मोकर थाना-कडौना जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	हरदेव यादव पिता-वृजनदन यादव ग्राम-तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रवि कुमार गौरव पिता- प्रमोद कुमार ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0
50200021671321 खाता धारक का नाम— **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE
CENTRE**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **Patliputra
Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड स0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1745 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अचला कुमारी
पिता- अशोक कुमार
ग्राम- मेन रोड दाउदनगर
पो०+थाना- दाउदनगर
जिला- औरंगाबाद
पिनकोड- 824143

पटना, दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अचला कुमारी पिता- अशोक कुमार ग्राम- मेन रोड दाउदनगर पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद पिनकोड- 824143	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 31387702033, खाता धारक का नाम- ACHALA KUMARI, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- DAUDNAGAR, IFSC कोड सं०- SBIN0005609 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1766(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0...~~202686~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे अक्षरों, बड़े अक्षरों, विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग करें और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, पिन को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें।
- अनजाने व्यक्ति द्वारा भेजे गए एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइटों में क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्ति को अपना पर्स, फोन या एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न दें।
- एसएमएस के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB सहित कोड के साथ ही आया करें। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI।

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

हमारी हेल्प लाइन नंबर पर सहायता लें।

1800-11-22-11/1800-425-3600/18001234/1800111109

Call our helpline number for assistance:

1800-11-22-11/1800-425-3600/18001234/1800111109

SBI

ग्राहक अधिकार
BRANCH MANAGER

Achala Kumari

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

राज आर्यन
पिता- शीलधर यादव
ग्राम- मजुरा
पो०- लगमा
थाना- टेटिया
जिला- मुगेर
पिनकोड- 811213

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज आर्यन पिता- शीलधर यादव ग्राम- मजुरा पो०- लगमा थाना- टेटिया जिला- मुगेर पिनकोड- 811213	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 44484435080, खाता धारक का नाम- RAJ ARYAN, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER, CHANDIGARH, IFSC कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

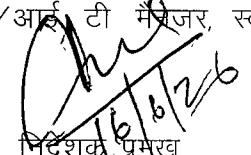
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1767(14)

पटना, दिनांक 16/6/2021

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002686.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैजिस्टर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/6/21
निदेशक प्रमुख

SBI

Vano
PassMithava &
Banking Mand.

पासवक

PASS BOOK

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड नम्बर, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें।
- एसवीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयेगें। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI" e.g. SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930. For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

ब्रंच मैनेजर
BRANCH MANAGER

सं० सं० 14, एम 11- 01/ 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

320/L14)

प्राप्त

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

राज आर्यन

पिता- शीलधर यादव

ग्राम- मंजुरा

पो०- लगमा

थाना- टेटिया

जिला- मुंगेर

पिनकोड- 811213

पटना दिनांक 24/11/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.11.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा एवं हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज आर्यन पिता- शीलधर यादव ग्राम- मंजुरा पो०- लगमा थाना- टेटिया जिला- मुंगेर पिनकोड- 811213	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002513 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 44484435080, खाता धारक का नाम- RAJ ARYAN, खात का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNTS, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER, CHANDIGARH, IFSC कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासार्जन

24/11/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

चरणजीत कुमार
पिता- राम ललित साह
ग्राम+पो0- गोधना
थाना- बछवाडा
जिला- बेगूसराय
पिनकोड- 851111

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चरणजीत कुमार पिता- राम ललित साह ग्राम+पो0- गोधना थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851111	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30 01 2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002686 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं0- 33028522079, खाता धारक का नाम- CHARANJEET KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- TEGHRA, IFSC कोड सं0- SBIN0003012 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1768(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 0026.86... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/6/26

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adv	Dft = Draft	proc = Processing Charge
	dish/dsn = Dishonour	rd = Recurring Deposit
	DR = Debit	ret/rtn = Return
	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husband of
	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No : 86742521690

Account No : 33028522079

Customer Name: Mr. CHARANJEET KUMAR

S/D/W/H/o: RAM LALIT SHAH

Address: AT+PO GODHNA

PS BACHHAWRA

DIST BEGUSARAI

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP. HELPLINE: 1800-11-22-11 1800-425-3800

TEGHRA (DISTT BEGUSARAI)

TEGHRA

Phone: 255753

Email: sa.03012@sbi.co.in

Branch Code: 3012

Date of Issue: 05/06/2013

05/06/2013 7527942 3012

IFSC: SATIN 0000 0000

Branch Manager

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

2451(14)

पेपक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
चरणजीत कुमार
पिता- राम ललित साह
ग्राम+पो०- गोधना
थाना- बछवाडा
जिला- बेगूसराय
पिनकोड- 851111

पटना दिनांक 27/8/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में जॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
	चरणजीत कुमार पिता- राम ललित साह ग्राम+पो०- गोधना थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851111	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्य संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलाक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196776 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 33028522079, खाता धारक का नाम- CHARANJEET KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- TEGHRA IFSC कोड स०- SBIN0003012 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजम

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
विकाश कुमार
पिता- कृष्णनदन प्रसाद
ग्राम- काँटी तिवारी टोला
पो+थाना- काँटी
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843109

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विकाश कुमार पिता- कृष्णनदन प्रसाद ग्राम- काँटी तिवारी टोला पो+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843109	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0- 35387265071, खाता धारक का नाम- VIKASH KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KANTI, IFSC कोड स0- SBIN0002957 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

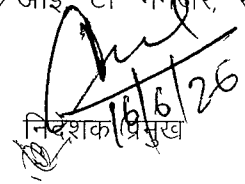
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1770(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002686.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

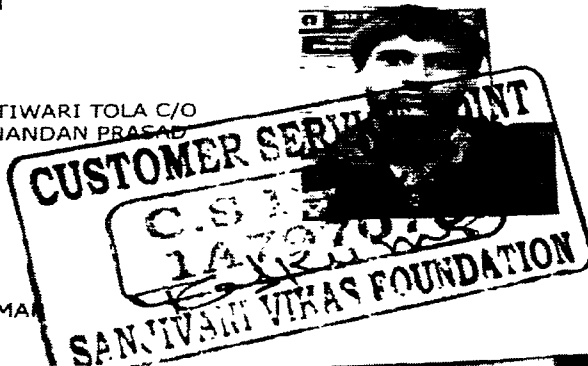
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
16/6/26



SBI - KIOSK BANKING
Duplicate Identity Card

Cif Number: 88797106618
Account Number: 35387265071
IFSC Code: SBIN0002957
First Name: VIKASH
Middle Name:
Last Name: KUMAR
Address: KANTI TIWARI TOLA C/O
KRISHNANDAN PRASAD
KANTI
KANTI
Village Name: KANTI
Pin Code: 843109
KO Name: RAJ KUMAR
KO Location: KANTI



स० स० 14/एम 11- 01/ 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

3026(14)

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

मेका ने

विकाश कुमार
पिता- कृष्णनन्दन प्रसाद
ग्राम- काँटी तिवारी टोला
पो०-स्थान- काँटी
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843109

पटना दिनांक 20/10/2025

सन्दर्भ - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

सन्दर्भ

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.10.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कोलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विकाश कुमार पिता- कृष्णनन्दन प्रसाद ग्राम- काँटी तिवारी टोला पो०-स्थान- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843109	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002505 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 35387265071, खाता धारक का नाम- VIKASH KUMAR, खात का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KANTI, IFSC कोड स०- SBIN0002957 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

नाजमा खातून

पति— मो० शफीक आलम

ग्राम— खासगंज सोहसराय

पो०— सोहसराय

थाना— शोहसराय

जिला— नालदा

पिनकोड— 803118

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नाजमा खातून पति— मो० शफीक आलम ग्राम— खासगंज सोहसराय पो०— सोहसराय थाना— शोहसराय जिला— नालदा पिनकोड— 803118	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /—(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०— 7359501486, खाता धारक का नाम— NAZMA KHATOON, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— INDIAN BANK, शाखा का नाम— BIHARSHARIF (1763), IFSC कोड स०— IDIB000B093 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

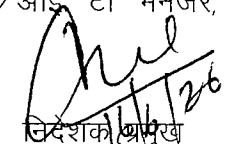
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1771 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक/प्रमुख

सं० १४/२०२५-०१/२०२५

निदेशात्मक स्वास्थ्य रोदाए
बिहार, पटना

देनाक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

रोना में

नाजमा खातून
पति- मो० शफीक अलम
ग्राम- खासगज सोहसराय
पो०- सोहसराय
थाना- सोहसराय
जिला- नालंदा
पिनकोड- 803118

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्रायश्चित्त समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका मुक्ति प्रत्यारोपण के पश्चात् देना पर हुए व्यय वहन के लिए पथम किस्त के रूप में कार्याम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	गरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	रोगी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	नाजमा खातून पति- मो० शफीक अलम ग्राम- खासगज सोहसराय पो०- सोहसराय थाना- सोहसराय जिला- नालंदा पिनकोड- 803118	नाजमा खातून Shafiq Alam Mohammad	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (निर्भागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बली राड, शाख पटना के क्रॉस चेक सं० 197901 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से आपके खाता सं०-7359501486, खाता धारक का नाम- NAZMA KHATOON, खाता प्रकार- बचत, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- BIHARSHARIF (1763), IFSC कोड सं० IDIB000B093 में अंतरित किया जाता है।
- निर्देश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल चिकित्सा उपचार के लिए किया जाए तथा अन्य किसी अन्य राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वसभाजन

₹०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

नामिती का ब्यौरा / Details of Nominee

पजीकृत (हाँ/नहीं)

Registered (Yes/No)

यदि हाँ तो पजीकरण स :

If Yes, Reg. No .

(वैकल्पिक) / (Optional)

नाम / Name :



उपयोगी सुझाव / Useful Tips :

- अपने खाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पजीकृत करें।
Register your Mobile and email-id for getting information about your account.
- आप पूछताछ आदि के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
You may call toll free number for inquiry etc.
- निपचित रूप से पासबुक अद्यतन करें / Get pass-book updated regularly.
- जहाँ कहीं भी सम्भव हो स्थायी अनुदेश जारी करें / Issue standing instructions wherever possible.
- पासबुक में कहीं भी हस्ताक्षर न करें / Do not put signature anywhere in pass-book.
- हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं / We welcome your suggestions.
- जहाँ भी कठिनाई होने पर मूल्य वृद्धि सेवाओं के लिए शाखा प्रबंधक से सम्पर्क करें।
Contact branch manager in case of difficulties / Value added services.
- टोल फ्री हेल्प लाइन = 1800 425 00 000 है Toll Free Help Line No. 1800 425 00 000.
- बूढ़े बादा की चपेट में न आएं / Beware of dubious schemes.
Do not fall prey to raise promises.
- किसी अन्य खाली का कार्ड / इतर कार्ड / डिजिटल / ई-मेल / पत्रिका / डेबिट / क्रेडिट कार्ड / मशीन / जहाँ भी जानकारी का केंद्र का साथ सावधान रहें।
Please do not disclose your Account details / Internet Banking / User id and Password / ATM Debit Card / Credit Card / Mobile Banking / Personal information to any Person.

STATION ROAD, BHAR SHARIF

NALANDA DIST. BIHAR

803101

Phone No.

IFSC Code IDIB0003093

PERSONAL DETAILS:

CIF No 30519040225

Name Nazim Khan

PAN No XXXXXX102E

Mobile No 7992232527

Mode of Op. S.E.F.

D.O.B. (if minor) N/A

Email ID

Date of A/C Opening 09/12/2022

Nam Reg No 10161404

Date of Issue 09/12/2025

Inform any change in your Address

इंडियन बैंक

Indian Bank

आधार

आधार

Branch BHARSHARIF

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

30301900

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सहयोग अस्पताल 40,
पाटलीपुत्रा कालोनी
पटना 800013

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पिन्टु प्रसाद पिता- शिवदुलार सिंह ग्राम- सकरी पो0- सकरी चौकी थाना- अरवल जिला- अरवल	CLD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक सं0. 002682
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0

बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1728(14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अभिषेक राज
पिता- सचिन कुमार
ग्राम+पो०+थाना- नौबतपुर
जिला- पटना
पिनकोड- 801109

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक राज पिता- सचिन कुमार ग्राम+पो०+थाना- नौबतपुर जिला- पटना पिनकोड- 801109	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002686 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 50100658145163, खाता धारक का नाम- ABHISHEK RAJ, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- NAUBATPUR, IFSC कोड सं०- HDFC0005665 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

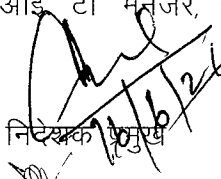
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1769 (14)

पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002686 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
16/6/26



GROUND FLOOR, UDHAV PALACE OPPOSITE GOVT HOSPITAL
MAIN ROAD NAUBATPUR, PATNA NAUBATPUR-801109, BIHAR
RTGS / NEFT IFSC : HDFC0005665

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
Valid for 3 months only							

Pay

Or Bearer

या धारक को

Rupees रुपये

अदा करें

₹

A/c. No.
खाता नं.

50100658145163

Brn: 5665 Pdt:100
SB-A/C

(New Account)

Payable at par through clearing/transfer at all branches of HDFC BANK LTD

Abhishek Ray

Please sign above / कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें

⑈000003⑈ 801240005⑈ 000312⑈ 31

SESHAASA(C)/CTS 2010 170823

सं० सं० 14/एम 11-02/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सर्वन कुमार (Sarvan Kumar) पिता- लालु ऋषि ग्राम- जियानगज पो०- कमरैली थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 109112601256307	Respiratory Failure	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित अभुक्तों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे : अनिवार्य समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

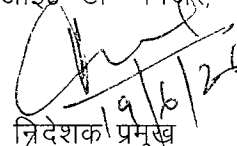
ज्ञापाक 1803(14)

पटना, दिनांक

19/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002687 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख